

क्षतिपूर्ति बंध पत्र

(समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के नॉनज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर)

जैसा कि मैं.....पुत्र/पत्नी श्री.....उम्र.....वर्ष.....निवासी.....ने सहायक अभियन्ता.....जयपुर/अजमेर/जोधपुर वि.वि.नि.....के कार्यालय में विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया है।जैसा कि.....वि.वि.नि ने उक्त.....स्थित मकान/दुकान.....को मेरे अपेक्षित विद्युत कनेक्शन के लिये मकान/दुकान मालिक की सहमति माँगी है।

जब कि मैं मकान/दुकान मालिक का सहमति पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हूँ। चूँकि जयपुर/अजमेर/जोधपुर वि.वि.नि.लि ने इस सम्बन्ध में मुझसे लिखित वचन चाहा हैकि अगर मैं और मकान/दुकान मालिक के मध्य इस विद्युत कनेक्शन के सम्बन्ध में किसी न्यायालय के समक्ष विवाद उत्पन्न होता है तो निगम इस मामले में शामिल नहीं होगा फिर भी निगम को इस कारण हुई किसी भी प्रकार की क्षति/खर्चों की क्षतिपूर्ति करने का मैं वचन देता हूँ। अतः यह अनुबन्ध मकान/दुकान मालिक की बिना सहमति के निगम द्वारा मुझे उक्त परिसर में कनेक्शन दिये जाने हेतु साक्ष्य किया जाये।मैं वचन देता हूँ कि निगम को इस सम्बन्ध में हुए वादकरण के कारण हुई सभी प्रकार की हानियों/क्षतियों एवं खर्च की क्षतिपूर्ति का वचन देता हूँ।

स्थान साक्षी का नाम (निष्पादक के हस्ताक्षर)

दिनांक पता

शर्तें—कन्ड्यूट पाईप एवं फिटिंग हेतु आवश्यक नट बोल्ट इत्यादि ,आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।